

# जिला परिषद् (ग्रा० वि० प्र०), जयपुर

क्रमांक :- एफ 05/माडा/प्रति./उच्च शिक्षा/2011-12/

दिनांक :-

## विज्ञप्ति

जयपुर जिले की शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2011-12 में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र/छात्रायें जो माडा एवं बिखरी जनजाति योजनान्तर्गत प्रतिभावान एवं उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने विद्यालय/महाविद्यालय/विश्व विद्यालय में 04 नवम्बर 2011 तक जमा करावें एवं सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य/प्राचार्य को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्राप्त छात्रवृत्ति के फॉर्म 08 नवम्बर 2011 तक कार्यालय में प्रस्तुत करावे । सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।

पात्रता की शर्त:-

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	पात्रता का विवरण
01	प्रतिभावान छात्रवृत्ति (केवल जनजाति की छात्र/छात्रायें)	वर्ष 2010-2011 में सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी एवं स्नातक, परीक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सत्र 2011-12 में आगामी कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत जनजाति की छात्र/छात्रायें जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं है ।
02	उच्च शिक्षा प्रोत्साहन (केवल जनजाति छात्रायें)	वर्ष 2010-2011 में सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी एवं स्नातक, परीक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण सत्र 2011-12 में आगामी कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत जनजाति की छात्रायें जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं है ।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र [www.jaipur.nic.in](http://www.jaipur.nic.in) वेब साइट पर उपलब्ध है ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) जयपुर ।

बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण जनजाति छात्र/छात्राओं को  
छात्रवृत्ति हेतु  
आवेदन-पत्र

वर्ष 2011-12

स्थान :  
दिनांक :  
सेवामें,

श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.), जयपुर।

फोटो  
(संस्था प्रधान/  
राजपत्रित अधिकारी  
से प्रमाणित होनी  
चाहिए)

विषय :- बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण होने पर देय छात्रवृत्ति स्वीकृति  
के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्तमान में मैं .....  
विद्यालय/महाविद्यालय में कक्षा ..... में अध्ययन कर रहा/रही हूँ। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
  2. पिता/अभिभावक का नाम .....
  3. जाति .....
  4. स्थाई निवास का पता .....
  5. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता .....
  6. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है .....
  7. प्रवेश दिनांक एवं वर्ष .....
  8. दूरभाष नम्बर.....
  9. विद्यालय/महाविद्यालय का नाम .....
  10. उत्तीर्ण परीक्षा, प्राप्तांक एवं श्रेणी प्रतिशत .....
  11. फिस रसिद संख्या एवं दिनांक .....
  12. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय .....
  13. क्या पिता/अभिभावक आयकर दाता है : हाँ/नहीं .....
  14. गत वर्ष माड़ा/बिखरी योजनान्तर्गत प्राप्त छात्रवृत्ति का विवरण .....
  15. क्या मूल निवास माड़ा क्षेत्र में आता है : हाँ/नहीं .....
  16. क्या समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन-पत्र भरा है : हाँ/नहीं .....
  17. विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के बैंक का नाम .....शाखा का नाम .....
- ..खाता संख्या .....आई एफ सी कोड .....

## आवेदक द्वारा की गई घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त विवरण में दर्शाई गई सूचनाएं सत्य है। इसमें मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। अंक तालिका, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं फिस की रसिद की प्रमाणित छाया प्रतियां साथ में संलग्न है तथा आय प्रमाण-पत्र मूल संलग्न है। मैं वास्तव में उक्त विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हूँ एवं वर्ष ..... में मैंने कक्षा ..... उत्तीर्ण की है। कृपया मुझे नियमानुसार प्रतिभावान छात्रवृत्ति स्वीकृत करावें।

### ••संलग्न••

1. 10 वीं /12 वीं /स्नातक की अंक तालिका।
2. मूल निवास प्रमाण-पत्र।
3. जाति प्रमाण-पत्र।
4. मूल आय प्रमाण-पत्र ( तहसीलदार/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जारी )।
5. फिस रसीद प्रमाणित छायाप्रति (महाविद्यालय के आशार्थियों हेतु)।
6. छात्र/छात्रा द्वारा समाज कल्याण विभाग की मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
7. माडा क्षेत्र का प्रमाण-पत्र।

हस्ताक्षर अभिभावक

हस्ताक्षर आवेदक

नोट :- फार्म अपूर्ण एवं विलम्ब होने की स्थिति में बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा एवं फार्म कार्यालय में केवल संस्था द्वारा ही लिया जावेगा सीधे जमा करवाये गये फार्म निरस्त कर दिये जावेंगे।